प्रेस विज्ञप्ति
17-03-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने 12/03/2025 को जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी के मामले में इश्तियाक अहमद पार्रे और 12 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन यानी 12/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई-एसीबी द्वारा विभिन्न धाराओं आरपीसी, 1989 और जेके पीसी अधिनियम, 2006 के तहत जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक इश्तियाक अहमद पर्रे और अन्य के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और इस्तियाक अहमद पर्रे द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड/संयुक्त देयता समूह ऋण/वाहन ऋण/नकद क्रेडिट सीमा/आसान वित्त ऋण, लगभग 250 ऋण खातों को मंजूरी देकर, गैर-मौजूद/नकली/पता न लगने वाले ग्राहकों को 6.30 करोड़ रुपये तक की राशि अर्जित करके अपराध के आगमों (पीओसी) का पता लगाया। आरोपी इश्तियाक अहमद पर्रे, जो जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं में तत्कालीन शाखा प्रमुख थे, ने अपने ड्राइवर मोहम्मद मकबूल घानाई और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में 6.30 करोड़ रुपये के उपरोक्त धन का गबन किया।

ईडी की जांच से पता चला कि ऋण राशि का बड़ा हिस्सा गबन कर लिया गया और इसका उपयोग इश्तियाक अहमद पर्रे और उनके परिवार के सदस्यों/करीबी रिश्तेदारों ने अचल संपत्ति बनाने, अपनी पैतृक संपत्तियों के नवीनीकरण/संशोधन, अपनी बेटियों की शानदार शादी और विलासितापूर्ण जीवन जीने में किया।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने 29/07/2024 को इश्तियाक अहमद पार्रे और उसके सहयोगियों से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी की कार्यवाही की थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध–संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे। ईडी ने मामले की विस्तार से जांच की और जांच के बाद, अक्टूबर, 2024 में ईडी ने श्रीनगर और श्रीनगर के आस-पास के स्थानों पर स्थित इस्तियाक अहमद पार्रे और अन्य की 3.40 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की।